न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2586 / 2005 / टोंक

1. रामकल्याण पुत्र हरिनारायण
2. राधाकिशन पुत्र हरिनारायण
3. रामबिलास पुत्र हरिनारायण
4. जमनालाल पुत्र हरिनारायण (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4 / 1. गिर्राज पुत्र जमनालाल
   4 / 2. अम्बालाल पुत्र जमनालाल
   4 / 3. रामकिशोर पुत्र जमनालाल
   4 / 4. मांगीबाई पुत्री जमनालाल
   4 / 5. अनोख पुत्री जमनालाल
   4 / 6. सन्तरा पुत्री जमनालाल
   4 / 7. राजा पुत्री जमनालाल
5. नेहनू पुत्र काल्या (नाम तर्क)
6. टूण्डा पुत्र काल्या (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6 / 1. प्रेमदेवी पत्नि टुण्डा
   6 / 2. बदाम पुत्री टुण्डा
   6 / 3. मनभर पुत्री टुण्डा
   6 / 4. मुरारी पुत्र टुण्डा
   6 / 5. सुरज्ञान पुत्र टुण्डा
7. मल्खा पुत्र काल्या
8. मोती पुत्र बद्री (मृतक) जरिये वारिसान
   8 / 1. मंगलीदेवी पत्नि मोती
   8 / 2. रामराय पुत्र मोती
   8 / 3. अमोलक पुत्र मोती
   8 / 4. गुडडी पुत्री मोती
9. हीरा पुत्र बद्री
10. श्रीमति रूकमा बैवा जोधा
11. धौल्या पुत्र जोधा
12. हरकेश पुत्र जोधा
13. लडडू पुत्र जोधा
14. मिश्री पुत्री जोधा
15. भजना पुत्र बद्री

    समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चुराडा तहसील निवाई जिला टोंक।

अपीलांटस

बनाम

1. श्योजी पुत्र देवकरण

2. मु०बरजी बेवा देवकरण (मृतक नाम तर्क)
3. किशनलाल पुत्र देवकरण
4. रामकिशन पुत्र देवकरण
5. जैतु पुत्री देवकरण
6. रामकन्या पुत्री देवकरण
7. ममता पुत्री देवकरण
8. रामफूल पुत्र गणेश (मृतक नाम तर्क)
9. रामस्वरूप पुत्र गोपाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   9/1. मनभर पत्नि रामस्वरूप
   9/2 हरीराम पुत्र रामस्वरूप
   9/3. सीयाराम पुत्र रामस्वरूप
10. रामधन पुत्र गोपाल
11. रमेश पुत्र गोपाल
12. मथुरी पुत्री गोपाल
13. रूकमा पुत्री गोपाल
14. दल्लू बेवा गोपाल (मृतक नाम तर्क)
15. गज्जा पुत्र बरधा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   15/1 गलोल पत्नि गज्जा
   15/2. रामावतार पुत्र गज्जा
   15/3. मदन पुत्र गज्जा

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चुराडा तहसील निवाई जिला टोंक।

..रेस्पोडेन्टस

खण्ड—पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री वी.पी.सिंह अभिभाषक अपीलांट्स
श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

दिनांकः 07—11—25

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील सं. 80/04 में पारित निर्णय दिनांक 30—3—05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विरुद्ध अपीलान्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निंवाई के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी सम्वत् 1925 में मोती के नाम दर्ज थी लेकिन बन्दोबस्त के दौरान सम्वत् 1998 में उक्त भूमि गलत तौर पर प्रतिवादीगण के पूर्वज हुक्मा के नाम दर्ज कर दी गई एवं हुक्मा की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि वर्तमान प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई, जो अवैधानिक होने से काबिल दुरूस्ती है, क्योंकि वादीगण मृतक मोती के वारिसान हैं तथा काबिज काश्त हैं, लेकिन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी करते हैं। अतः उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा भी पाबन्द फरमाया जावे। उक्त वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट्स / प्रतिवादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के कई वर्षों पूर्व से ही अपीलांट्स के पूर्वज हुक्मा एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् अपीलाट्स/प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज होकर अपीलांट्स लगातार आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है एवं ना ही वादीगण का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा एवं काश्त ही रहा है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में मोती को लाऔलाद फौत होना बताया है, जबकि बयानों में स्वयं वादी रामफूल ने मोती का पुत्र रामकल्याण होना कथन किया है जिससे भी वादीगण का वाद असत्य कथनों पर आधारित है। उक्त वाद पत्र एवं जवाबदावे के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने 4 तनकीयाँ कायम की तथा प्रत्येक तनकी पर सम्पूर्ण साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद साबित नहीं होने से निर्णय एवं डिक्री दिनाक 20.3.2004 द्वारा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 15 ने अपील विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने कब्जा एवं खातेदारी अपीलांट्स का साबित मानते हुए सरसरी तौर पर स्वीकार कर निर्णय दिनांक 30.3.2005 से प्रकरण परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकार निंवाई को कतिपय निर्देशों के साथ रिमाण्ड कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–3–05 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय केवल तीन बिन्दुओं के आधार पर ही अपील को परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित कर सकता है, प्रथमतः आदेश 41 नियम 23 सीपीसी के तहत् जहां पर कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद प्रारम्भिक बिन्दु पर ही खारिज कर दिया गया हो तथा द्वितीय जहां अपीलेट कोर्ट डिक्री को अपील में रिवर्स कर दे तथा प्रकरण का पुनपरीक्षण आवश्यक हो (आदेश 41 नियम 23 (अ)) तथा

तृतीय जहा अपीलीय न्यायालय कोई नया विवाद बिन्दु निर्मित कर उसके परीक्षण के लिए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को आदेश 41 नियम 25 सी.पी. सी. के तहत् प्रति प्रेषित करे। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक भी परिस्थिति नहीं थी जिसके लिए कि अपील को प्रति प्रेषित किया जाना उचित एवं आवश्यक हो। राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध थे जिसके आधार पर वे स्वय अपील का गुणावगुण पर आदेश 41 नियम 24 सी.पी.सी. के तहत् निर्णय करने के लिए सक्षम थे, फिर भी बिना किसी आधार पर अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रति प्रेषित करने में अपने में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग भारी अनियमितता एवं अवैधानिकता पूर्वक किया है, जो निरस्तनीय है। राजस्व अपील अधिकारी स्वयं अपने निर्णय के पैरा संख्या 4 में यह स्वीकार करते हैं कि परीक्षण न्यायालय ने तनकी नम्बर 3 व 4 का निर्णय सही तौर पर पारित किया है जबकि तनकी संख्या 3 व 4 के द्वारा परीक्षण न्यायालय ने विवादित आराजी पर वादीगण की न तो खातेदारी व न ही कब्जा काश्त साबित माना है, फिर भी राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 3 में यह मान लिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के बाबत् अपनी स्पष्ट फाइण्डिग नहीं दी है एवं कब्जे की स्पष्ट फाइण्डिग देने हेतु ही प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। अतः भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक का निर्णय उनके स्वयं के द्वारा दी गई फाइण्डिग के अनुसार विरोधाभासी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहां तक सम्वत् 1925 व 1998 के भू–प्रबन्ध में वर्णित खसरा नम्बर के मिलान करने का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में रिकार्ड एवं साक्ष्य स्वयं उनके समक्ष उपलब्ध था जिसके आधार पर वे स्वयं अपील का अंतिम तौर पर निस्तारण करने में सक्षम थे फिर भी बिना किसी कारण एवं आधार के अपील को रिमाण्ड करने में राजस्व अपील अधिकारी ने कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से वर्षों पूर्व से विवादित भूमि पर अपीलांट्स एवं उनके पूर्वजों का बहैसियत खातेदार कब्जा एवं काश्त निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा मोती अथवा उसके वारिसान कल्याण वगेरह ने कभी भी विवादित भूमि की खातेदारी एवं कब्जे को लेकर विवाद नहीं किया। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स जो कि मोती अथवा कल्याण के वारिस भी नहीं हैं, को विवादित भूमि के सम्बन्ध में इतने लम्बे अन्तराल के बाद वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही कब्जे के अभाव में उक्त वाद चलने योग्य ही था, किंतु राजस्व अपील अधिकारी ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित तनकीवार निर्णय को सरसरी तौर पर निरस्त करते हुए प्रकरण को विधि विरूद्ध रिमाण्ड कर दिया। जब विवादित भूमि पर अपीलांट्स एवं उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के वर्षों पूर्व से बहैसियत खातेदार काबिज काश्त होना राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया साबित था, रेस्पोडेन्ट्स को न तो वाद लाने का ही अधिकार था और न ही उनका विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा एवं काश्त रहा तो ऐसी स्थिति में राजस्व अपील अधिकारी

को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करते हुए खारिज फरमाना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय द्वारा रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि विवादित आराजी मोती के नाम दर्ज थी। संवत् 1998 में जो भू प्रबंध हुआ उसमें हुक्मा के नाम गलत अंकित कर दी गई। सेटलमेंट से पूर्व हुक्मा की खातेदारी का कोई प्रमाण नहीं है। विचारण न्यायालय ने संवत् 1925 का अभिलेख नहीं माना तो विपक्षीगण का संवत् 1998 का अभिलेख नहीं माना जा सकता। वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने तनकी सं. 1 के समर्थन में संवत् 1925 का पर्चा सेटलमेंट एवं मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया किंतु विचारण न्यायालय ने दोनों दस्तावेजों का न मानकर कानूनी भूल की है। योग्य विचारण न्यायालय ने तनकीयात का संक्षिप्त रूप से विवचेन किया है, सभी तनकीयात के निर्णय के समय मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का तर्कपूर्ण विवेचन नहीं कर विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की है। वादीगण ने शिड्यूल 'अ' में जो सजरा पेश किया था उसके जवाब में प्रतिवादीगण ने केवल सजरा गलत होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण ने कोई नया सजरा पेश नहीं किया है। प्रतिवादीगण की जब नये सजरे की प्लीडिंग ही नहीं है तो वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरे को नहीं मानकर विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपीलय न्यायालय ने संवत् 1925 व 1998 के भू प्रबंध में वर्णित खसरा नंबर का मिलान करते हुये तथा कब्जे बाबत् स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करते हुये निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को कतिपय निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया है, जिसमें कोई सारभूत त्रुटि नहीं होने से यह द्वितीय अपील खारिज की जावे।

5— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी निंवाई ने साबित नहीं होने की स्थिति में निर्णय दिनांक 20—3—04 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

टोंक ने निर्णय दिनांक 30–3–05 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। जिसके विरूद्ध हस्तगत् द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। वादी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह लिया था कि विवादित आराजी सम्वत् 1925 में मोती के नाम दर्ज थी लेकिन बन्दोबस्त के दौरान सम्वत् 1998 में उक्त भूमि गलत तौर पर प्रतिवादीगण के पूर्वज हुक्मा के नाम दर्ज कर दी गई एवं हुक्मा की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि वर्तमान प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई, जो अवैधानिक होने से काबिल दुरूस्ती है, क्योंकि वादीगण मृतक मोती के वारिसान हैं तथा काबिज काश्त हैं। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये यह निष्कर्ष अंकित किया कि वादीगण वादग्रस्त आराजी से माती पुत्र भैरू जिसको की वे अपना पूर्वज बताते है तथा अपने आपको उसका वारिस बताते है का संबंध सिद्ध करने में असमर्थ रहे है तथा मौके पर उनका कब्जाकाश्त नहीं होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में है तथा वादीगण का वाद साबित नहीं होने की स्थिति में निर्णय दिनांक 20–3–04 से खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेंट की प्रथम अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड करने का मुख्य आधार यह लिया है कि विचारण न्यायालय ने संवत् 1925 के अभिलेख के खसरा नंबर व संवत् 1998 के अभिलेख के खसरा नंबरों का मिलान नहीं किया है। विवादित आराजी संवत् 1925 में मोती के नाम दर्ज है तथा विचारण न्यायालय ने कब्जे के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष अंकित नहीं किया। ऐसी स्थिति में संवत् 1925 व 1998 के भू प्रबंध में वर्णित खसरा नंबर का मिलान करते हुये तथा कब्जे की स्थिति के संबंध में स्पष्ट फाईण्डिंग देते हुये अपना निर्णय पारित करें। इस खंडपीठ के विनम्र मत में विचारण न्यायालय ने इस संबंध में तनकी सं. 1 निर्णित करते हुये यह माना कि वादीगण ने नकल रजिस्टर चकबंदी संवत् 1998 एवं मिलान क्षेत्रफल पेश किया जो यह सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है कि संवत् 1925 में यह मोती पुत्र भैरू की आराजियात हो तथा तनकी सं.1 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होना नहीं माना। विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 2 इस आधार पर वादीगण के विरूद्ध निर्णित की कि विवादित आराजी में वादीगण मोती का हक सिद्ध नहीं कर पाये। अतः वादीगण मोती के वारिस होने न होने से कोई प्रभाव नहीं पडता है। तनकी सं.3 पर यह निष्कर्ष अंकित किया कि वादीगण की विवादित आराजी में न तो खातेदारी है और न ही कब्जाकाश्तहै। विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 4 पर यह निष्कर्ष अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ने ही संवत् 1998 के रजिस्टर चकबंदी में हुक्मा का नाम होने की बात स्वीकार की है जो प्रदर्श–1 से पूरी तरह स्पष्ट है।

7– विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी का वाद सिद्ध नहीं होने की स्थिति में खारिज किया है जिसमें कोई तात्विक

त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जब तक वादी अपने वाद को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वादीगण का वाद सिद्ध नही होने की स्थिति में ही विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ निष्कर्ष अंकित कर वादी का वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों व दस्तावेजों को सही आलोक में नहीं देखकर वादी की अपील दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को संवत् 1925 व 1998 के भू प्रबंध में वर्णित खसरा नंबर का मिलान करते हुये तथा कब्जे की स्थिति के संबंध में स्पष्ट फाईण्डिंग देते हुये अपना निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की है जबकि विचारण न्यायालय ने इस संबंध में तनकी सं. 1 से 4 में स्पष्ट फाईण्डिंग दी है। अपीलीय न्यायालय ने निर्णय के पैरा सं.2 में अंकित किया है कि संवत् 1925 के रिकार्ड की नकल जो अपीलार्थीगण ने पेश की है, उसमें मोती का नाम है तथा वह रिकार्ड पत्रावली में मौजूद है। विचारण न्यायालय में रिकार्ड की फोटो प्रति पेश की गई है जो प्रमाणित प्रति नहीं है तथा इस दस्तावेज को विचारण न्यायालय में प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है। अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं. 3 व 4 पर विचारण न्यायालय के निर्णय को सही माना है। तनकी सं. 3 पर विचारण न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया है कि विवादित आराजियात में वादीगण की न तो खातेदारी है और न हीं कब्जाकाश्त। इसी प्रकार तनकी सं.4 पर विचारण न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करते हुये यह तनकी प्रतिवादीण के पक्ष में निर्णित की है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर कब्जाकाश्त के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष देने व संवत् 1925 व संवत् 1998 के भू प्रबंध में वर्णित खसरा नंबर का मिलान करने के संबंध में अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से समर्थन योग्य है एवं अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने से असमर्थनीय होकर खारिज किये जाने योग्य है तथा द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

8— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30—3—05 को निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी निंवाई द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20—3—04 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष